अध्याय-II
सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई तथा संसाधन व्यक्ति

नियमावली की धारा 4 अनुबंध करती है कि राज्य सरकार *ग्राम सभा* द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने में मदद करने हेतु एक स्वतंत्र संगठन जिसे एस.ए.यू. के रूप में भेजा जाएगा, की पहचान तथा स्थापना करेगी। यह एस.ए.यू. या तो एक समिति या फिर निदेशालय, स्वतंत्र कार्यान्वयन विभाग/अभिकरण हो सकती है। समिति/निदेशालय का निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसने दस वर्षों तक लोगों के अधिकारों हेतु सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया है। कार्य को एक बाहरी अभिकरण, जो विशेषतः अधिकारों एवं पात्रता आधारित कार्यक्रम में पर्याप्त अनुभव से संपन्न हो, को आउटसोर्स किया जा सकता है। एस.ए.यू. में स्वतंत्र स्टाफ संरचना होगी जिसमें राज्य संसाधन व्यक्ति (एस.आर.पी.) तथा विषयक विशेषज्ञ, जिला संसाधन व्यक्ति (डी.आर.पी.), ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बी.आर.पी.) तथा ग्राम संसाधन व्यक्ति (वी.आर.पी.) शामिल है। एस.ए.यू. निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैः

- सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए *ग्राम सभा* की क्षमताओं का निर्माण करने तथा इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त संसाधनों की पहचान, प्रशिक्षण तथा ग्राम, ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर परिनियोजन, प्राथमिक पणधारकों, लोगों के अधिकारों हेतु कार्य के ज्ञान तथा अनुभव वाली नागरिक समिति संगठनों से आहरण करने;
- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग प्रारूप, संसाधन सामग्री, दिशानिर्देश तथा नियम पुस्तिकाएं तैयार करना;
- नियमावली के अंतर्गत श्रमिकों के बीच उनके अधिकारों एवं पात्रताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना;
- प्राथमिक पणधारकों तथा कार्य स्थलों के साथ अभिलेखों के सत्यापन में मदद करने;
- उचित निर्णयों के पश्चात पढ़ने तथा निर्णयों को अंतिम रूप देने के लिए *ग्राम सभा* द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा को निर्विघ्न किए जाने में मदद करने;
- पब्लिक डोमेन में कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) सहित एस.ए.यू. तैयार करना।

इसके अतिरिक्त, नियमावली की धारा 7(6) के अनुसार एस.ए.यू. की स्थापना करने तथा सामाजिक लेखापरीक्षा करने की लागत को केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता के रूप में पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी किया (अगस्त 2012/अप्रैल 2013) कि राज्यों में एस.ए.यू. की स्थापना

करने तथा सामाजिक लेखापरीक्षा करने की लागत को मनरेगस के अंतर्गत 'प्रशासनिक प्रभारों' की सीमा के अंदर से पूरा किया जाएगा। राज्य इस शीर्ष के अंतर्गत छः प्रतिशत की अनुमत सीमा के अंदर एस.ए.यू. पर एक प्रतिशत तक का व्यय कर सकते हैं।

2.1 एस.ए.यू. की स्थापना

नियमावली की धारा 4 अनुबंध करती है कि राज्य सरकार *ग्राम सभा* द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने में मदद करने हेतु एक स्वतंत्र एस.ए.यू. की पहचान अथवा स्थापना करेगी। यह एस.ए.यू. या तो एक समिति या फिर निदेशालय, स्वतंत्र कार्यान्वयन विभाग/अभिकरण हो सकती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात राज्यों[3] में, एस.ए.यू. की तिथि तक (दिसंबर 2015) स्थापना नहीं की गई थी। इनमें से पाँच राज्यों अर्थात् **गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड** तथा **उत्तराखंड** में नियामावली की धारा 4 के प्रावधान के उल्लंघन में कार्यान्वयन अभिकरण सामाजिक लेखापरीक्षा कर रहा है। **केरल** में, सामाजिक लेखापरीक्षा अक्तूबर 2007 में जारी दिशानिर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत दिसंबर 2010 में स्थापित सामाजिक लेखापरीक्षा सेल द्वारा की जा रही थी। **अरूणाचल प्रदेश** में, ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा करने हेतु एक निजी फर्म को काम पर लगाया था। अनुबंध (जनवरी 2014) के अनुसार 2013-14 की सामाजिक लेखापरीक्षा 12 महीनों के भीतर समाप्त की जानी थी। फर्म द्वारा कोई एस.ए.यू. प्रस्तुत नहीं किया गया था (जुलाई 2015) तथा केवल ग्रा.पं. की आधारभूत सूचना प्रस्तुत की गई थी। तथापि, सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य समाप्त किए बिना फर्म को ₹103.82 लाख का भुगतान किया गया था।

अन्य राज्यों में, हमने पाया कि;

- आठ राज्यों[4] में एस.ए.यू. राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक सेल के रूप में कार्य कर रही थी। इन सभी राज्यों में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को एस.ए.यू. के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

- चार राज्यों[5] में यद्यपि एक स्वतंत्र एस.ए.यू. की स्थापना की गई थी फिर भी इनकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई थीं। **ओडिशा** में निदेशक का पद मार्च 2014 से रिक्त पड़ा था। इसके अतिरिक्त, इन चार राज्यों में से, **ओडिशा** में एस.ए.यू. के पास अपना स्वयं का बैंक खाता नहीं था।

3 अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल तथा उत्तराखंड

4 असम, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल

5 मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा ओड़िशा

- 10 राज्यों[6] में समितियाँ/एन.जी.ओ. अपने अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक निदेशक के साथ एक स्वतंत्र एस.ए.यू. के रूप में कार्य कर रहीं थीं। गुजरात में स्वतंत्र एस.ए.यू. (एन.जी.ओ.) जनवरी 2015 तक कार्य कर रहा था तथा नई एस.ए.यू. की स्थापना प्रगति में थी। मेघालय में एस.ए.यू. ने अप्रैल 2015 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त, इन 10 राज्यों में से त्रिपुरा में एस.ए.यू. के पास अपना स्वयं का बैंक खाता नहीं था।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि नियमावली के प्रवर्तन के चार वर्षों के पश्चात भी 15 राज्यों में स्वतंत्र एस.ए.यू. को स्थापित नहीं किया जा सका था तथा 14 राज्यों, जहां एस.ए.यू. की स्थापना की गई थी, में से चार राज्यों में स्वतंत्र एस.ए.यू. थीं जिनकी अध्यक्षता विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। यह सामाजिक लेखापरीक्षाओं के प्रभावी रोल-आउट को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करता है।

स्वतंत्र एस.ए.यू. को स्थापित न करने के मामले को मंत्रालय के साथ भी उठाया गया था। मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि इसने राज्य सरकारों को स्वतंत्र एस.ए.यू. को स्थापित करने हेतु कोई समय सीमा प्रदान नहीं की थी। तथापि, प्रत्येक निष्पादन समीक्षा समिति तथा समीक्षा बैठक में राज्य सरकारों को नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना करने की सलाह दी गई थीं।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि इसने संबंधित राज्यों को तीन महीने के भीतर स्वतंत्र एस.ए.यू. की स्थापना करने तथा एस.ए.यू. का अलग बैंक खाता, जहां राज्य के मनरेगस के लिए एक प्रतिशत आबंटित बजट को वर्ष के प्रारम्भ में सीधे अंतरित किया जा सके होने के आवश्यक निर्देश दे दिया था।

2.2 नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता

मंत्रालय द्वारा जारी (अगस्त 2014) स्वतंत्र एस.ए.यू. के स्टाफ के नियोजन के मापदण्ड अनुबंध करते है कि निदेशक का पद एक सामाजिक सक्रियतावादी द्वारा भरा जाएगा जिसे सामाजिक लेखापरीक्षा करने तथा अधिकार आधारित कार्यकलापों में 10 वर्षों का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त, यदि राज्य द्वारा निदेशक, एस.ए.यू. के पद हेतु सेवानिवृत अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो केवल वही अधिकारी जिसने पिछले पाँच वर्षों से किसी भी सरकारी पद पर कार्य नहीं किया गया, योग्य होगा। तथापि, हमने विसामान्यताएं पाईं अर्थात्:

- **मेघालय** में, निदेशक की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करते हुए अप्रैल 2015 में की गई थी जो फरवरी 2015 में सेवानिवृत हुआ था।

- **पश्चिम बंगाल** में, राज्य सरकार ने (अप्रैल 2015) में निदेशक, एस.ए.यू. के रूप में एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति उसके पश्चिम बंगाल राज्य आजीविका

6 आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश

मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मनरेगस द्वारा वित्त पोषित एक एन.जी.ओ. कार्यान्वयन कार्यक्रम के साथ एक सचिव के रूप में अंशकालिक संबंध के पता होने के बावजूद की थी। इसने मनरेगस की कार्यान्वयन एजेंसियों के सामाजिक लेखापरीक्षा कार्मिक के वियोजन की मूल आवश्यकता का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त, हमने यह पाया कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित महत्व मापदण्ड की डी.आर.पी. का चयन करने अनुपालना नहीं की गई थी।

ऐसी विसामान्यताएं एस.ए.यू. की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि संबंधित राज्यों को लिखित में अपने उत्तर प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

2.3 सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु संसाधन व्यक्ति

एस.ए.यू. एक स्वतंत्र स्टाफ संरचना होनी चाहिए जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के मूल्यांकन तथा सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुसंधान एवं डाटा विश्लेषण के उत्तरदायित्व सहित राज्य संसाधन व्यक्ति (एस.आर.पी.) तथा विषयक विशेषज्ञ, ग्राम संसाधन व्यक्तियों (वी.आर.पी.) की पहचान एवं प्रशिक्षण का जिला स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा दल के स्थिरक हेतु उत्तरदायी जिला संसाधन व्यक्ति (डी.आर.पी.), ग्रा.पं. स्तरीय संसाधन व्यक्ति की पहचान एवं प्रशिक्षण तथा सामाजिक लेखापरीक्षा सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उनके मार्गदर्शन हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बी.आर.पी.) तथा फील्ड स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा करने हेतु ग्राम संसाधन व्यक्ति (वी.आर.पी.) शामिल है। मंत्रालय के मापदण्डों (जुलाई 2012) के अनुसार, प्रत्येक राज्य में राज्य दल मॉनीटर की सात से 10 व्यक्तियों, प्रत्येक जिले हेतु जिला संसाधन व्यक्ति की एक से दो व्यक्तियों, प्रत्येक ब्लॉक हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की दो से तीन व्यक्तियों तथा प्रत्येक ग्रा.पं. हेतु ग्राम संसाधन व्यक्ति की चार से पाँच व्यक्तियों की आवश्यकता निर्धारित की गई थी जो राज्य/जिले के आकार पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, नियमावली की धारा 4 प्रावधान करती है कि एस.ए.यू. *ग्राम सभा* को सामाजिक लेखापरीक्षा करने में मदद करने हेतु एस.आर.पी., डी. आर.पी. तथा वी.आर.पी. की पर्याप्त संख्या की पहचान तथा प्रशिक्षण करेगी।

2.3.1 सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता

सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता तथा कमी के ब्यौरे **अनुबंध-I** में 29 राज्यों के संबंध में दर्शाए गए हैं हमने पाया किः

राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्ति

- 15 राज्यों में, 65 एस.आर.पी. की कमी थी तथा छः राज्यों में कोई निर्धारण नहीं किया गया था। **असम** तथा **राजस्थान** में संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। शेष छः राज्यों में संसाधन व्यक्तियों की कोई कमी नहीं पाई गई थी।

जिला स्तरीय संसाधन व्यक्ति

- 16 राज्यों में, 481 डी.आर.पी. की कमी थी तथा छः राज्यों में कोई निर्धारण नहीं किया गया था। **राजस्थान** में संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी। शेष छः राज्यों संसाधन व्यक्तियों की कोई कमी नहीं पाई गई थी।

ब्लॉक स्तरीय संसाधन व्यक्ति

- नौ राज्यों में, 2091 बी.आर.पी. की कमी थी तथा 16 राज्यों में कोई निर्धारण नहीं किया गया था। **महाराष्ट्र** में संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी। तीन राज्यों में संसाधन व्यक्तियों की कोई कमी नहीं पाई गई थी।

ग्राम स्तरीय संसाधन समिति

- तीन राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा ग्रा.पं. की छः माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा करने हेतु, जैसा नियमावली में अनुबंध किया गया है, वी.आर.पी. की पर्याप्त रुप से पहचान नहीं की गई थी। 15 राज्यों में वी.आर.पी. की आवश्यकता का निर्धारण तथा पहचान नहीं की गई थी। वी.आर.पी. की आवश्यकता की केवल 11 राज्यों में पर्याप्त रूप से पहचान की गई थी।

इसके अतिरिक्त, यहां तक की 14 राज्यों में, जहां स्वतंत्र एस.ए.यू. स्थापित थी, 43 (22 प्रतिशत) एस.आर.पी., 358 (24 प्रतिशत) डी.आर.पी. तथा 1,957 (57 प्रतिशत) बी.आर.पी. की कमी पाई गई थी। पांच राज्यों में वी.आर.पी. की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया गया था जबकि नौ राज्यों में वी.आर.पी. की पर्याप्त रुप से पहचान/नियोजन किया गया था।

इस प्रकार, स्वतंत्र संसाधन व्यक्तियों के परिनियोजन में कमी/अपर्याप्तता ने सामाजिक लेखापरीक्षा को प्रभावी प्रकार से करने में बाधित किया।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (दिसंबर 2015) की सभी राज्यों को समय सीमा के भीतर संसाधन व्यक्तियों के परिनियोजन को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.4 संसाधन व्यक्ति का प्रशिक्षण

नियमावली की धारा 4 के अनुसार, एस.ए.यू. सामाजिक लेखापरीक्षा करने में *ग्राम सभा* की मदद करने हेतु एस.आर.पी., डी.आर.पी. तथा बी.आर.पी. की पर्याप्त संख्या की पहचान तथा प्रशिक्षण करेगा। प्रशिक्षण सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्पादन हेतु ज्ञान तथा व्यवसायिक कौशल की शिक्षा है। हमने पाया किः

- **गुजरात** में, 2012-15 के दौरान तालुका (ब्लॉक) संसाधन समूह (बी.आर.पी.) को प्रशिक्षण प्रदान करने में 22 से 27 प्रतिशत की कमी थी।

- **त्रिपुरा** में, सामाजिक लेखापरीक्षा के सरलीकरण हेतु वी.आर.पी. का चयन तथा प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

- **मध्य प्रदेश** में, 245 ग्राम सामाजिक एनिमेटरों (वी.एस.ए.) को सामाजिक लेखापरीक्षा करने में ग्राम समपरिचय समिति को मदद करने हेतु प्रशिक्षित नहीं किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप को उनके द्वारा उचित रूप से नहीं भरा गया था।

- **पश्चिम बंगाल** में, अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण एस.ए.आर. को अंतिम रूप देने में विभिन्न विसंगतियां पाई गई थीं।

- **असम** में, एस.ए.यू. ने अपने संसाधन व्यक्तियों के निष्पादन का निर्धारण करने के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर अपने संसाधन व्यक्तियों की अपर्याप्तताओं को मॉनीटर करने हेतु कोई क्रियाविधि नहीं अपनाई है। इसके अतिरिक्त, एस.ए.यू. में सम्पादन के समय मूल प्रशिक्षण के सिवाए पूर्व एवं पश्च सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य का विवरण देने की कोई क्रियाविधि नहीं थी।

- अन्य राज्यों में, जहां सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी, संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

मत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि वह संसाधन कार्मिक हेतु टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा पर एक मानकीकृत प्रशिक्षण मापदण्ड विकसित करने तथा उनको चरणबद्ध प्रकार से प्रशिक्षित करने हेतु एक व्यापक कैलेण्डर तैयार करने की प्रक्रिया में था।

2.4.1 सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु प्रशिक्षण के लिए निधियों का अनुपयोग

मंत्रालय ने, मार्च 2014 में, सामाजिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण/स्टाफ के क्षमता निर्माण पर एक परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) को ₹23.50 करोड़ जारी किए। तथापि, हमने पाया कि एन.आई.आर.डी. ने मंत्रालय के अनुरोध पर सामाजिक लेखापरीक्षा प्रशिक्षण के स्थान पर गहन साझेदारी योजना कार्य (₹18.89 करोड़) तथा संसद आदर्श ग्राम योजना (₹1.50करोड़) के प्रति ₹20.39 करोड़ का उपयोग किया। सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण हेतु निधियों के अनुपयोग के कारण अभिलेख पर नहीं पाए गए थे। सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु क्षमता निर्माण हेतु महत्व की निधियों के अनुपयोग ने इसके महत्व को फीका कर दिया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) के सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रशिक्षण हेतु निधियों के उपयुक्त उपयोग के लिए कदम उठाए जाएंगें।

2.5 विशेष परियोजना

सामाजिक लेखापरीक्षा करने राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु, जैसा

नियमावली के तहत निर्धारित है, मंत्रालय ने एक विशेष परियोजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया (जून 2014) जो 2017 तक परिचालन में थी। इसके अंतर्गत, राज्य तथा जिला स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त करने की लागत की एस.ए.यू. को स्थापित करने, सामाजिक लेखापरीक्षा करने तथा अनुपालना जैसी मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है, के तहत राज्यों/यू.टी. को प्रतिपूर्ति की जानी थी। राज्यों को निर्गम कुछ शर्तों के तहत दो किश्तों में किया जाना था।

मंत्रालय ने, मार्च 2015 में, इस परियोजना के अंतर्गत आठ राज्यों[7] को ₹79.20 लाख जारी किए। इनमें से, **नागालैण्ड** तथा **पंजाब** ने स्वतंत्र एस.ए.यू. होने के बावजूद विशेष परियोजना के अंतर्गत ₹17.16 लाख प्राप्त किए। लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार, निधियों के प्रावधान हेतु विशेष परियोजना के साथ भी सामाजिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ नहीं किया जा सका था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि वह यह सुनिश्चित करने हेतु कि विशेष परियोजना हेतु निधियां सभी संबंधित राज्यों को जारी कर दी गईं थीं; आवश्यक कदम उठा रहा था।

2.6 निष्कर्ष

एस.ए.यू. की स्थापना जिसे नियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुबद्ध किया गया है, को नियमावली के प्रवर्तन के चार वर्षों के पश्चात भी 15 राज्यों में अभी भी पूरा नहीं किया गया था। शेष 14 राज्यों में, जहां स्वतंत्र एस.ए.यू. स्थापित थे, स्वतंत्र एस.ए.यू. की अध्यक्षता विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा ही थी। इसके अतिरिक्त, अधिकांश राज्यों में संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता में कमी थी। यहां तक की 14 राज्यों में, जहां स्वतंत्र एस.ए.यू. स्थापित था, कमी की प्रतिशतता 22 से 57 प्रतिशत तक थी। राज्यों में क्षमता निर्माण को भी सुनिश्चित नहीं किया गया था। राज्य मंत्रालय द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा करने को सहायता प्रदान करने हेतु की गई विशेष परियोजना का लाभ भी नहीं उठा पा रहे थे तथा सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु संसाधनों को सुदृढ़ करने में भी विफल थे।

2.7 अनुशंसाएं:

(i) मंत्रालय को समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा राज्यों पर एक स्वतंत्र एस.ए.यू. स्थापित करने के लिए दबाव डालना चाहिए।

(ii) मंत्रालय को सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए।

---

7 आन्ध्र प्रदेश (₹9.90 लाख), छत्तीसगढ़ (₹13.86 लाख), गुजरात (₹11.22 लाख), नागालैण्ड (₹7.26 लाख), पंजाब (₹9.90 लाख), सिक्किम (₹5.94 लाख), तमिलनाडु (₹15.18 लाख) तथा त्रिपुरा (₹5.94 लाख)